मध्यप्रदेश शासन

स्कूल शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल– 462004

क्र./एफ 44–4/2020–21/20-2 भोपाल, दिनांक 23/7/2021

प्रति,

1. समस्त जिला कलेक्टर
   मध्यप्रदेश
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
   मध्यप्रदेश
3. समस्त सहायक आयुक्त
   जनजातीय कार्य विभाग, मध्यप्रदेश

विषयः– शिक्षक सत्र 2021–22 के लिए शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में कक्षाएँ प्रारंभ एवं संचालित करने बाबत्।

--00--

प्रदेश में दिनांक 26 जुलाई 2021 से विद्यालयों में छात्रों की भौतिक उपस्थिति के साथ पठन–पाठन की प्रक्रिया आरंभ की जा रही है। कोविड–19 संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा समस्त शासकीय एवं अशासकीय शालाओं के लिए निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैः–

1. प्रदेश के समस्त शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक/हाई/हायर सेकेण्डरी विद्यालयों में शैक्षणिक तथा गैर शैक्षणिक स्टॉफ शत–प्रतिशत उपस्थित होंगे।
2. विद्यालयों को अत्यन्त सावधानी पूर्वक प्रारंभ किया जाना है। शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के समस्त शिक्षकों/कर्मचारियों का प्राथमिकता के आधार पर वेक्सिनेशन कराया जाए। वेक्सिनेशन की कार्यवाही अभियान के रूप में एक नियत समय–सीमा में पूर्ण की जाए।
3. पालकों की लिखित सहमति से ही विद्यार्थी विद्यालय में उपस्थित होगें।
4. विद्यालयों को प्रारंभ करने हेतु केलेण्डर निम्नानुसार होगाः–

   अ– 26 जुलाई 2021 से– कक्षा 11वीं एवं 12वीं (सप्ताह में 02 दिवस) –

   कक्षा 12वीं के लिए सोमवार एवं गुरूवार तथा कक्षा 11वीं के लिए मंगलवार एवं शुक्रवार दिन नियत किया जा सकता है। विद्यालय 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ चलेंगें।

   ब– 05 अगस्त 2021 से – कक्षा 9 वीं से 12वीं तक –

   कक्षा 12वीं के लिए सोमवार एवं गुरूवार तथा कक्षा 11वीं के लिए मंगलवार एवं शुक्रवार दिन नियत किया जा सकता है। कक्षा 10 के लिए बुधवार एवं कक्षा 9 के लिए शनिवार नियत किया जा सकता है। विद्यालय 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ ही चलेंगें।

   स– ऑनलाईन कक्षाओं का संचालन भी जारी रहेगा।

2

5. विद्यालय प्रबंधन, विद्यार्थियों को इस रीति से विद्यालय में आमंत्रित कर सकेगा कि विद्यालय की आधारभूत संरचना अनुसार कक्षा में विद्यार्थियों के बैठने की कुल क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक न हो । संस्था प्रमुख विद्यालय की क्षमता अनुसार आवश्यक निर्णय लेगें ताकि कोविड 19 हेतु नियत प्रोटोकाल का पालन हो सके।

6. विद्यालय में प्रार्थना–सभा, स्वीमिंग पूल इत्यादि सामूहिक गतिविधियाँ प्रतिबंधित रहेंगी। किसी भी स्थिति में विद्यार्थी एक स्थान पर एकत्रित न हो इस बात की विशेष निगरानी रखी जाये।

7. यदि विद्यालय द्वारा परिवहन सुविधा का प्रबंधन किया जा रहा है तो, बसों/अन्य परिवहन वाहनों में समुचित भौतिक दूरी सुनिश्चित करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता से चलाई जाएगी और बसों/अन्य परिवहन वाहनों का 1 प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइट के उपयोग से सेनिटाइजेशन सुनिश्चित किया जायेगा।

8. कक्षा 11वीं एवं कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों हेतु छात्रावास भी 26 जुलाई 2021 से प्रारंभ किए जा सकेंगें। छात्रावासों में छात्रों के आगमन से पूर्व नियत कोविड–19 प्रोटोकाल का पालन करते हुए आवश्यक तैयारियां की जाए एवं प्रोटाकाल का पालन अनिवार्य होगा। छात्रावास में कार्यरत समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी का टीकाकरण अनिवार्य होगा। छात्रावास के सेनिटाइजेशन एवं बाथरूम इत्यादि की साफ–सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

9. कक्षा 12वीं के लिए दिनांक 05 अगस्त 2021 से कोचिंग संस्थाएं प्रारंभ की जा सकेगी। कोचिंग संस्थान में कार्यरत समस्त शिक्षकों एवं स्टॉफ हेतु वेक्सिनेशन अनिवार्य होगा। कोंचिग संस्थानों के सेनिटाइजेशन एवं बाथरूम इत्यादि की साफ–सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। कोचिंग संचालन में भी नियत कोविड–19 प्रोटोकाल का पालन करना अनिवार्य होगा। स्थानीय प्रशासन कोचिंग संस्थानों के संचालन की नियमित रूप से इस बात की जांच करेगा कि उक्त संस्थानों द्वारा कोविड–19 प्रोटोकाॅल का पालन किया जा रहा है।

10. विद्यालय, छात्रावास एवं कोचिंग संस्थान को निर्धारित किए गए केलेण्डर अनुसार खोले जाने के संबंध में स्थानीय परिस्थितियों के दृष्टिगत आवश्यक निर्णय हेतु प्रकरण जिला आपदा प्रबंधन समिति में प्रस्तुत किया जाएगा। जिला आपदा प्रबंधन समिति तदनुसार उक्त संस्थाओं को प्रारंभ करने के बारे में अंतिम निर्णय लेगी। यदि जिला आपदा प्रबंधन समिति, प्रस्ताव से भिन्न मत रखती है तो संबंधित कलेक्टर कारण दर्शित करते हुए स्कूल शिक्षा विभाग को वस्तु स्थिति से अवगत कराऐगे।

11.स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किये गये स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी एसओपी/गाईड लाईन (संलग्न) का पालन अनिवार्य होगा।

12.प्राचार्य यह सुनिश्चित करेंगे कि समस्त स्टाफ का कोविड प्रतिरोधक टीकाकरण हो गया हो। यदि स्टाफ के किसी सदस्य द्वारा टीका नहीं लगवाया गया हो तो तुरंत टीका लगवाने हेतु निर्देशित किया जाए। पालन न करने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए।

13. प्राचार्य/छात्रावास अधीक्षक समय–समय पर छात्रों तथा स्टाफ का रेण्डम कोविड–19 का टेस्ट करायें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

23/07/2021
(प्रमोद सिंह)
उपसचिव
म.प्र शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
भोपाल, दिनांक 23/07/2021

पृ. क्र./एफ 44–4/2020–21/20-2

प्रतिलिपि–

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय भोपाल।
3. निज सचिव, माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश।
5. आयुक्त लोकशिक्षण/राज्य शिक्षा केन्द्र/आदिम जाति कल्याण विभाग।
6. आयुक्त जनसंपर्क, म.प्र. भोपाल।
7. सचिव, माध्यमिक शिक्षा मंडल, म.प्र. भोपाल।
8. निदेशक, महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान, म.प्र. भोपाल।
9. सचिव, मदरसा बोर्ड, म.प्र. भोपाल।
10. समस्त संभागीय आयुक्त (राजस्व), मध्यप्रदेश।
11. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
12. आर्डर बुक।

20/07/2021
उपसचिव
म.प्र शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

//लेखीराम//
23072021